विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 918 दिनांक : 05.11.19

प्रति,

प्राचार्य,

शा. महाविद्यालय हाटपिपलिया,

जिला–देवास।

विषय :– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :–(1) आपका आवेदित पाठ्यक्रमों का सम्बद्धता/सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन दिनांक 18.04.2019

(2) महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/418/2019,हाटपिपल्या,दिनांक 26.08.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 04.06.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 में प्रस्तुत किया गया :–

01. दिनांक 24.06.2019 में संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि,शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,हाटपिपलिया,जिला–देवास,में सत्र 2019–20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं एम.ए.(राजनीतिविज्ञान)–द्वितीय वर्ष(उत्तरार्द्ध)–सीट संख्या 30,पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता एवं बी.ए.–सीट संख्या 413,बी.कॉम.(प्लेन)–सीट संख्या 63,(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)–सीट संख्या 38, एवं एम.ए.(अंग्रेजी)–सीट संख्या 30,पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2019–20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं उपरोक्त पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता एवं सम्बद्धता–निरंतरता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये।''

02. संकायाध्यों की उक्त अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में सर्व प्रथम विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/166,दिनांक 27.07.2019,द्वारा निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पुर्ति किये जाने हेतु महाविद्यालय को निर्देशित किया गया।

03. विश्वविद्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के प्रतिउत्तर में महाविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/418/2019,दिनांक 26.08.2019 में कमियों की पूर्ति करने का उल्लेख किया गया एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 की अनुशंसा/कार्यविवरण,माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किये गये है। महाविद्यालय द्वारा कमियों की पूर्ति के पालन उपरांत, विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार सत्र 2019–20 में कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन,भोपाल के पत्र क्रमांक/252–253/249/आउशि/योजना/2019,भोपाल,दिनांक 30.03.2019,के आधार पर सत्र 2019–20 से आगामी आदेश तक महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं **एम.ए.(राजनीतिविज्ञान)–द्वितीय वर्ष(उत्तरार्द्ध)–सीट संख्या 30,पाठ्यक्रम की सम्बद्धता** एवं **बी.ए.–सीट संख्या 413,बी.कॉम.(प्लेन)–सीट संख्या 63,(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)–सीट संख्या 38,एवं एम.ए.(अंग्रेजी)–सीट संख्या 30**,के साथ पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है।

* **आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता–निरंतरता हेतु नियमानुसार आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधी में करना सुनिश्चित करें।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

99 E/New Fold./Affi.college/Dewas/Affili.Latt

निरंतर...02

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/ 919

दिनांक :5-11-19

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
3. प्राचार्य,शा.कालिदास कन्या स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,उज्जैन।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

5.11.19

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

100 E/New Fold./Affi.college/Dewas/Affili.Latt